राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 95/दावा/2022 दायरा दिनांक :— 06.09.2022

GCMS ID—2022/1

बउनवान

1. बीना पुत्री श्रवणलाल पत्नी रामनारायण सैनी जाति माली निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी 06 मन्दिर एरिया अर्जुनपुरा कोटा (राज0)

वादीनी

बनाम

1. मांगीबाई पत्नी स्व0 श्रवणलाल जाति माली निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली हाल निवासी सदर थाने के पास देवपुरा बन्दी।
2. सुशीला पुत्री स्व0 श्रवणलाल पत्नी धनराज सुमन जाति माली निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली हाल निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. विमला पुत्री स्व0 श्रवणलाल जाति माली निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली हाल निवासी रॉयल सिटी देवपुरा सदर थाने के पीछे बून्दी तह0 व जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील वादी :— श्री जितेन्द्र कोठारी

वकील प्रतिवादीगण :— श्री हरिनारायण मीणा

दिनांक :— 26/06/2025

निर्णय

दावानी द्वारा प्रस्तुत पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 529 व पुराना 491 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2532 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2549 रकबा 0.4613 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2551 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2552 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.5908 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार हल्का बडानयागांव, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राज0) में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के खातेदार वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के पूर्व खातेदार वादीनी के पिता सरवण जी जिनके भरणोपरान्त उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण तस्दीक करवाते समय वादीनी की माता मांगी बाई द्वारा वादीनी का बोलता नाम मीना अंकित करवां दिया था। जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी वादीनी का नाम मीना अंकित हो गया है। जबकि वादीनी का

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

वास्तविक नाम बीना सैनी है। वादीनी का नाम मीना पुत्री सरवण नहीं होकर वादीनी का वास्तविक नाम बीना सैनी पुत्री सरवण है। उक्त बीना सैनी के नाम से ही वादीनी का आधार कार्ड संख्या 942103107068, पहचान पत्र, राशन कार्ड बने हुए है। इस कारण से वादीनी अपना बोलता नाम मीना के स्थान पर बीना सैनी अंकित करवाना चाहती है। वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम बीना सैनी के स्थान पर सहवन से मीना अंकित हो जाने के कारण वादीनी को सरकारी योजना, व बैंक से वित्तीय सुविधा भी नहीं मिल पाती है तथा राजस्व सम्बन्धी प्रत्येक कार्य में कठिनाई का सामना करना पडता है। जिसके कारण वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मीना के स्थान पर बीना सैनी अंकित कर इसकी घोषणा किया जाना आवश्यक है। वादीनी ने अपने नाम का संशोधन करवाने के लिए राजस्व अभियान में भी निवेदन किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अन्तिम बाद वादिनी ने दिनांक 05.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली को भी निवेदन किया तो उनके द्वारा वादीनी को बताया गया कि सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश से ही नाम का इन्द्राज सही हो सकेगा। यही वाद प्रस्तुति का कारण है। जो निरन्तर पैदा रहो रहा है। वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज अपना नाम मीना पुत्री सरवण को संशोधित करवाकर उसके स्थान पर बीना सैनी का नाम अंकित करवाने की घोषणा करावे व इस आशय की डिग्री माननीय न्यायालय श्रीमान से प्राप्त करें। उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज का होने से राजस्थान राज्य को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 4 बनाये गये है। यदि राजस्थान राज्य को वाद प्रस्तुति से पूर्व दो माह का नोटिस देकर इन्तजार करके वाद प्रस्तुत किया गया तो वाद हेतु ही समाप्त हो जाता है। इसलिए यह वाद दफा 80 जा0दी0 के नोटिस के अभाव में पेश किया जा रहा है। जिसके लिए अलग से दफा 80 (2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। वाद कारण उत्पत्ति से वाद पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। कृषि भूमि ग्राम बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस मय तलबाने पर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 सहखातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान राज्य आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 4 बनाये गये है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय हर्जे खर्चे प्रदान की जावे :– वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहवन से दर्ज वादीनी का नाम मीना पुत्री सरवण से संशोधित किया जाकर उसके स्थान पर वादीनी का सही नाम बीना सैनी पुत्री सरवण का इन्द्राज करने की घोषणा की जावे एवं इसी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

आशय की डिग्री प्रदान फरमाई जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वह प्रार्थी को प्रदान की जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रकरण में अंकित चरणों को स्वीकार करते हुए प्रकरण को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/24/1507 दिनांक :–18.06.2024 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बडानयागांव के खाता संख्या 529 में वादीनी का नाम मीना पुत्री सरवण दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज मीना पुत्री सरवण व बीना पुत्री सरवण एक ही महिला के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज मीना पुत्री सरवण के स्थान पर वादीनी का सही नाम बीना पुत्री सरवण दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादीनी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

वकील वादीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 का पेश कर संहवन से इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने के स्थान पर संहवन से वाद पेश कर दिया है, जिसको संशोधन कर वाद के स्थान पर प्रकरण को इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र संशोधित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन की अनुमति दी जाकर उक्त प्रकरण को वाद के स्थान पर प्रार्थना पत्र के रूप में संशोधित किये जाने के आदेश दिए गए।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील वादीनी की बहस सुनी। वकील वादीनी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीनी का सही नाम बीना पुत्री सरवण है जिसे मुताबिक वाद पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, परिवार राशन कार्ड,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जन आधार, बैंक खाता डायरी, पेश किए है जिसमें प्रार्थीया का नाम बीना पुत्री सरवण दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव के खाता संख्या 529 के खसरा संख्या 2532, 2549, 2551, 2552 में दर्ज मीना पुत्री सरवण के स्थान पर बीना पुत्री सरवण शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरींर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 26.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

26/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446